



न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)

आदेश

अनुमति वाद संख्या - 43/2023-24

अनुसूची - 14 फॉर्म सं० - 563

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी														
	आवेदक डोमरा खड़िया, पिता – स्व० सुकरा खड़िया, जाति – खड़िया, ग्राम – घोड़लता टोली, पालकोट, पो०+थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) के द्वारा थाना नं० – 63 स्थित, मौजा पालकोट के खाता सं० – 406, प्लॉट सं० – 4521, रकबा – 0.85 ए० भूमि को क्रेता :- निकेश मुण्डा, पिता – श्री लक्ष्मी मुण्डा, जाति – मुण्डा, ग्राम – बाजार टांड, पालकोट, पो०+थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) के साथ बिक्री/वसीयत/बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>पालकोट</td><td>63</td><td>406</td><td>4521</td><td>0.85 ए०</td></tr></table> चौहद्दी :- <table><tr><td>उत्तर – वन विभाग कार्यालय</td><td>दक्षिण – काजू बगान</td></tr><tr><td>पूरब – नीज बिक्रेता का दोन</td><td>पश्चिम – दुर्गा महतो का टांड तथा कच्चा रास्ता</td></tr></table> जमीन बिक्रेता का विवरणी डोमरा खड़िया, पिता – स्व० सुकरा खड़िया, जाति – खड़िया, ग्राम – घोड़लता टोली, पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) जमीन क्रेता का विवरणी निकेश मुण्डा, पिता – श्री लक्ष्मी मुण्डा, जाति – मुण्डा, ग्राम – बाजार टांड, पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) आवेदित भूमि को आवेदक डोमरा खड़िया, पिता – स्व० सुकरा खड़िया, जाति – खड़िया, ग्राम – घोड़लता टोली, पालकोट, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) से मो० 6,60,000/- रु० पर बिक्री करने का तय हुआ। आवेदक को रुपये का सख्त जरूरी वास्ते मकान बनाने वो अन्य दीगर काम दर पेश हुआ के जमीन बिक्री किये बगैर रुपये का इन्तजाम नहीं हो सका, जिस कारण आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	पालकोट	63	406	4521	0.85 ए०	उत्तर – वन विभाग कार्यालय	दक्षिण – काजू बगान	पूरब – नीज बिक्रेता का दोन	पश्चिम – दुर्गा महतो का टांड तथा कच्चा रास्ता	
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा												
पालकोट	63	406	4521	0.85 ए०												
उत्तर – वन विभाग कार्यालय	दक्षिण – काजू बगान															
पूरब – नीज बिक्रेता का दोन	पश्चिम – दुर्गा महतो का टांड तथा कच्चा रास्ता															

अंचल अधिकारी, पालकोट के कार्यालय पत्रांक 516(iii)/रा0, दिनांक 22.05.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन में आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

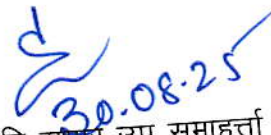
आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आवेदक की अपनी खतियानी जमीन है। अपना हिस्सा में दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है, और न ही सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है। आवेदित भूमि विवादरहित है साथ ही खनन एवं वन सीमा से बाहर है। भूमि, मठ, मंदिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है। यह भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के समुदाय के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि का आवेदक **डोमरा खड़िया**, पिता - स्व० सुकरा खड़िया, जाति - खड़िया, ग्राम - घोड़लता टोली, पालकोट, थाना - पालकोट, जिला - गुमला (झारखण्ड) को उक्त वर्णित राशि 6,60,000/- रु० मात्र (छः लाख साठ हजार रुपये मात्र) अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में से जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा **रखी** प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)।